रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265638 CG-DL-E-22082025-265638

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3748]

No. 3748]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

का.आ. 3853(अ).— केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड 'कर्नाटक राज्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' (पैन AAALK0820C) को, उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित संबंधित आय के संबंध में निम्नानुसार अधिसुचित करती है:

- (क) केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान;
- (ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि;
- (ग) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(1) के अंतर्गत निर्माण लागत पर एकत्रित उपकर;
- (घ) प्रतिष्ठानों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क और वार्षिक अंशदान; और
- (ङ) उपरोक्त (क) से (घ) पर अर्जित ब्याज।

5611 GI/2025 (1)

- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'कर्नाटक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' -
 - (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
 - (ख) गतिविधियाँ और संबंधित आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।
- 3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2029-2030 तक संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 138/2025/फा. सं. 300196/87/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह. उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

- **S.O. 3853(E).** In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Karnataka State Building & Other Construction Workers' Welfare Board" (PAN AAALK0820C)', a board constituted by Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to the said board, as follows:
 - (a) Grants received from the Central Government;
 - (b) Sums received from such other sources decided by the Central Government;
 - (c) Cess collected on construction cost levied u/s 3(1) of the Building and Other Construction Worders' Welfare Cess Act, 1996;
 - (d) Registration fee and annual subscriptions received from the establishments; and
 - (e) Interest earned on bank deposits.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Karnataka Building & Other Construction Workers' Welfare Board'
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be applicable for assessment year 2026-2027 to 2030-2031 relevant to financial year 2025-2026 to 2029-2030.

[Notification No. 138 /2025/F. No. 300196/87/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265639 CG-DL-E-22082025-265639

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3749]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947

No. 3749]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

का.आ. 3854(अ).— केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'पशुपालन और डेयरी के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (पैन: AACTC8610N)', जो कि उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित संबंधित आय के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में गठित एक ट्रस्ट है, को अधिसूचित करती है अर्थात्: -

- i) ईएलआई (पात्र ऋणदाता संस्थान) से गारंटी शुल्क
- ii) म्यूचुअल फंड से आय
- iii) विविध आय
- iv) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ब्याज आय

5612 GI/2025 (1)

- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'पशुपालन और डेयरी के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट'-
 - (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
 - (ख) गतिविधियाँ और विसंबंधित आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।
- **3.** यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 और 2028-2029 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2026-2027, 2027-2028,2028-2029 और 2029-2030 के लिए लागू होगी।।

[अधिसूचना सं. 139/2025/फा. सं. 300196/6/2025-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

S.O. 3854(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Credit Guarantee Fund Trust for Animal Husbandry and Dairying (PAN: AACTC8610N)', a Trust constituted by Central Government, as part of the Prime Minister's Atma Nirbhar Bharat Abhiyan stimulus package by Department of Animal Husbandary and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandary and Dairying, Govt. of India, in respect of the following specified income arising to the said Trust, namely:

- i) Guarantee Fees from ELI (Eligible Lending Institutions)
- ii) Income from Mutual Funds
- iii) Miscellaneous Income
- iv) Interest income from banks/financial institutions.

- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Credit Guarantee Fund Trust for Animal Husbandry and Dairying'—
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2025-2026 relevant for the financial years 2024-2025 and shall be applicable for assessment years 2026-2027,2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030 relevant for the financial years 2025-2026, 2026-2027,2027-2028 & 2028-2029.

[Notification No. 139/2025/F. No. 300196/6/2025-ITA-I] MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.